Tele : 91-22-66564429
: 91-22-66564051
Email :
tmoffice@mumbaiport.gov.in
Website : www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

यातायात प्रबंधक का कार्यालय,
पत्तन भवन,
शूरजी वल्लभदास मार्ग
मुंबई – ४०० ००१.
Traffic Manager's Office,
Port House,
Shoorji Vallabhdas Marg,
Mumbai – 400 001.

या.प्र./गोदी/4-3/2025-26 का 18

दि. 05 अगस्त, 2025

परिपत्र

अध्यक्ष
मैरिटाइम असोसिएशन ऑफ नेशनवाइड शिपिंग एजेंसीज-इंडिया (मनसा)
अध्यक्ष,
बृहनमुंबई कस्टम ब्रोकर्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
वेस्टर्न इंडिया शिपर्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन
अध्यक्ष,
इंडियन मरचेंट्स चैंबर्स
सचिव,
बॉम्बे चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज,
अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ़ फ्रेट फॉरवार्डर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया
अध्यक्ष,
असोसिएशन ऑफ़ मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ऑफ़ इंडिया

महोदय,

विषय : दरमानों के अध्याय 3 की धारा 3.3(क)(II) के अंतर्गत उर्वरकों के शुष्क बल्क कार्गो के भंडारण के लिए 18 इंदिरा गोदी पर लगभग 2000 वर्ग मीटर के ढँके हुए क्षेत्र का निर्धारण ।

मुंबई पतन के उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा और अधिक कार्गो आकर्षित करने के लिए दरमानों के अध्याय 3 की धारा 3.3 (क) (II)/(V) के प्रावधानों के अंतर्गत आयात कार्गो के भंडारण के लिए गोदियों और बाहरी क्षेत्रों में शेड/क्षेत्रों का निर्धारण विभिन्न व्यापार परिपत्रों के माध्यम से किया गया है।

..2/-

उर्वरकों के शुष्क बल्क कार्गो के लिए ढँकी हुई भंडारण सुविधा प्रदान करने की व्यापार की मांग के कारण 18 इंदिरा गोदी शेड पर लगभग 2000 वर्ग मीटर का ढँका हुआ क्षेत्र दरमानों की धारा 3.3 (क)(II) के अंतर्गत भंडारण के लिए निर्धारित किया जा रहा है, जो सीमा शुल्क विभाग तथा मुंबई पतन प्राधिकरण की औपचारिकताओं को पूर्ण करने की शर्त के अधीन होगा, यथा - क्षेत्र के लिए पत्तन प्रभारों का भुगतान और कार्गो की निकासी के लिए सीमा शुल्क विभाग के निकासी प्रभारों का भुगतान।

उर्वरकों के शुष्क बल्क कार्गो के लिए भंडारण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाएगी:

1. आयातक/सीएचबी पत्तन और सीमा शुल्क विभाग की औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर सीमा शुल्क विभाग से कार्गो के लिए निकासी अनुमति प्राप्त करेगा और कार्गो का निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवहन करेगा।
2. आयातक/सीएचबी द्वारा कार्गो का उसकी स्वयं की जिम्मेदारी तथा लागत पर निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवहन किया जाएगा।
3. कार्गो का निर्दिष्ट स्थल पर भंडारण पूरी तरह से आयातक/सीएचबी की जोखिम, लागत और जिम्मेदारी पर होगा।
4. पत्तन को आवश्यकता होने पर आयातक/सीएचबी को अनुमत स्थल खाली करना होगा, जिसके लिए उसे 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा।
5. मुंबई पतन प्राधिकरण को अनुमत क्षेत्र की कोई आवश्यकता होने की स्थिति में आयातक/सीएचबी पत्तन द्वारा बताए गए किसी अन्य स्थान पर अपना कार्गो 15 दिनों के अंदर स्थानांतरित करेगा जिसके लिए स्थानांतरण प्रभार उसे ही चुकाने होंगे।
6. भंडारण की अनुमति आरंभिक रूप से एक महीने के लिए होगी और यदि भंडारण क्षेत्र की अतिरिक्त समय के लिए आवश्यकता होगी तो आयातक/सीएचबी उसके 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से कम से कम 7 दिन पहले अग्रिम भुगतान करके इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करेगा ।
7. आयातक/सीएचबी द्वारा कार्गो के परिवहन के दौरान सभी सुरक्षा तथा अन्य सावधानियां बरती जाएँगी ताकि अन्य प्रचालनो में कोई व्यवधान न हो, साथ ही स्थानीय पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को कोई हानि न हो।
8. कार्गो प्रहस्तन के दौरान धूल को नियंत्रित करने तथा रोकने के सभी उपाय किए जाएंगे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए इसे अपने सदस्यों में व्यापक रूप से प्रचारित करें।

अंग्रेजी संस्करण पहले ही अपलोड किया जा चुका है

भवदीय,

Sd/-
यातायात प्रबंधक